न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली–बहरोड़

अपील संख्याः–133/2025 पीठासीन अधिकारीः–ओम प्रकाश सहारण (RAS)

ताराचन्द पुत्र पूरण, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भेडीवास, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड राज०

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप–तहसीलदार हरसौरा, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड राज०

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आदेश श्रीमान उप–तहसीलदार हरसौरा आदेश दिनांक 03.11.25 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

1. अपीलाण्टस वकीलः– श्री प्रदीप बंसल एवं अभिषेक बंसल
2. रेस्पोडेन्टः–पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 26-5-26

1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार हरसौरा को पटवारी हल्का बबेडी ने एक प्रार्थना–पत्र इस आशय का दिया कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने ग्राम भेड़ीवास के आराजी 467/279 रकबा 0.2572 हैक्टेयर में से रकबा 0.05 हैक्टेयर पर अनाधिकृत कब्जा काश्त किया है इसलिये इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही फरमायी जावे। जिस पर श्रीमान उप–तहसीलदार हरसौरा ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर करने का आदेश देकर मिन प्रार्थी/अपीलान्ट को तलब करने का आदेश दिया। जिस पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.11.2025 को प्रार्थी/अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने के आदेश फरमाये। तथा उसी रोज पटवारी हल्का के बयान लेकर मिन प्रार्थी अपीलान्ट को खसरा नम्बर 467/279 वाके ग्राम भेडीवास के रकबा 0.05 हैक्टेयर पर अतिकमी मानकर लगान राशि की 50 गुणा राशि प्रार्थी/अपीलान्ट के विरूद्ध अधिरोपित की तथा प्रार्थी/अपीलान्ट को बेदखल करने व कब्जे राज में लेकर फसल की नीलामी करने तथा साथ ही प्रार्थी/अपीलान्ट को एक माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया एवं पुलिस थाना हरसौरा को प्रार्थी/अपीलान्ट को गिरफ्तार करने हेतु वारन्ट जारी कर दे दिये। जिस बाबत पुलिस थाना हरसौरा द्वारा दिनांक 20.12.2025 को गांव के ही बलेश पुत्र बाबूलाल को मोबाईल पर सूचना दी गई जिसने मिन प्रार्थी/अपीलान्ट को उक्त सूचना दी। उक्त सूचना मिलने पर दिनांक 21.12.25 को रविवार का अवकाश होने के कारण अगले दिन प्रार्थी/अपीलान्ट न्यायालय श्रीमान उप–तहसीलदार हरसौरा के समक्ष पहुँचा जहाँ तलाश करने पर हस्तगत प्रकरण की जानकारी हुई। जिस पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 23.12.25 को नकल प्राप्त हुई। तथा वहीं उप–तहसील हरसौरा में ही यह जानकारी हुई कि इस आदेश की अपील कोटपूतली न्यायालय में करनी पडेगी। जिस पर प्रार्थी अपीलान्ट ने दिनांक 24.12.25 को अधिवक्ता नियुक्त किया। जिस पर प्रार्थी के अधिवक्ता ने उसी दिन न्यायालय श्रीमान उप–तहसीलदार हरसौरा के समक्ष उपस्थित होकर स्थगन प्रार्थना–पत्र व मुचलके पेश किये। उसके अगले दिन दिनांक 25.12.25 को क्रिसमस का सार्वजनिक अवकाश था। जिस पर बिना देरी किये माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रथम अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैः–
2. यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। ना ही कोई अतिक्रमण किया है। ना ही खसरा नम्बर 467/279 ग्राम भेडीवास के किसी भी भू–भाग पर प्रार्थी/अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा रहा है, ना ही आज है। उक्त तमाम् कार्यवाही विधी विरूद्ध की गई है। अतः आदेश अदालत मातहत अपास्त किये जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

3. यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कभी कोई तामिल नहीं कराई गई, ना ही प्रार्थी/अपीलान्ट को कभी अधिनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस प्राप्त हुआ, ना ही प्रार्थी के परिवार के किसी व्यस्क पुरुष सदस्य पर कोई तामिल की गई है। ना ही प्रार्थी/अपीलान्ट के मकान पर कोई चस्पानगी की गई। इस तरह धारा 59 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इस कारण आदेश अदालत मातहत अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में प्रार्थी पर आयद दण्ड द्वितीय नोटिस पर दिया जाना बताया है। जबकि प्रार्थी/अपीलान्ट पर कभी भी किसी भी नोटिस की तामिल नहीं हुई है। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलान्ट को न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त से वंचित रखा गया है। इस कारण आदेश अदालत मातहत अपास्त किये जाने योग्य है।
5. यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने अपीलाधीन भूमि अथवा अन्य किसी भी भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नहीं किया है। अतः आदेश अदालत मातहत अपास्त किये जाने योग्य है।
6. यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट एक वृद्ध व्यक्ति है। जेल में प्रार्थी की सार–सम्भाल नहीं हो पायेगी। तथा जेल में प्रार्थी की मृत्यु भी हो सकती है। इस कारण प्रार्थी/अपीलान्ट के विरूद्ध पारित कारावास का आदेश अपास्त किया जाना न्यायोचित है।
7. यह कि प्रार्थी ने कभी भी अपीलाधीन भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। तथा इस बाबत प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर भी नहीं मिला है। फिर भी प्रार्थी इस बाबत माननीय न्यायालय के समक्ष यह बन्ध पत्र देने के लिये तैयार है कि अपीलाधीन भूमि पर उसका कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, ना ही वह भविष्य में कोई कब्जा करेगा। तथा माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिरोपित पेनल्टी अदा करने को तैयार है। इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
8. यह कि कानूनन धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत आदेश पारित करने हेतु श्रीमान तहसीलदार को ही अधिकृत किया गया है। इस कारण श्रीमान उप तहसीलदार हरसौरा को अपीलाधीन आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
9. यह कि अन्य वजूहात वरवक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।
10. यह कि जानकारी से अपील अन्दर मियाद है जिसके लिये अलग से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
11. यह कि अपील उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।
12. यह कि माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।
13. अतः अपील प्रस्तत कर निवेदन है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार हरसौरा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2025 अपास्त करने की कृपा करे।
14. अपील प्राप्त होने पर इसे नियमानुसार रजिस्टर में दर्ज किया गया। तत्पश्चात, रेस्पोडेन्ट को सम्मन/नोटिस जारी कर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया तथा विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
15. वकील अपीलान्ट ने तर्क प्रस्तुत किया कि पटवारी हल्का बबेडी ने एक रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी/अपीलान्ट का वाके ग्राम भेड़ीवास के आराजी 467/279 रकबा 0.2572 हैक्टेयर में से रकबा 0.05 हैक्टेयर पर अनाधिकृत कब्जा काश्त पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने न तो विवादित भूमि की कोई आधिकारिक पैमाइश करवाई और न ही अपीलान्ट को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अपीलान्ट अपनी निजी खातेदारी भूमि का वैध स्वामी एवं काबिज काश्तकार है। पूर्व में ही यह निवेदन किया गया था कि यदि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पैमाइश के दौरान सिवायचक भूमि पर कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो वह उसे स्वतः हटा लेगा, किंतु वर्तमान में मौके पर कोई भी अतिक्रमण शेष नहीं है, जिसकी पुष्टि फर्द मौका बेदखली की रिपोर्ट से भी प्रमाणित होती है। अतः इन तथ्यों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2025 को पारित मनमाना एवं त्रुटिपूर्ण निर्णय निरस्त करने की कृपा करें।
16. पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम भेड़ीवास के आराजी 467/279 रकबा 0.2572 हैक्टेयर में से रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। उक्त अतिक्रमण प्रमाणित पाए जाने के आधार पर ही बेदखली एवं दण्ड के आदेश पारित किए गए हैं,

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

जो पूर्णतः विधि सम्मत हैं। अप्रार्थी/अपीलान्ट बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है इसलिए अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जाना योग्य है। अतः अपील खारिज फरमावें।

17. हमने उभय पक्षों की बहस एवं कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली के तथ्यों एवं उप-तहसीलदार हरसौरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलान्ट एवं उनके योग्य अधिवक्ता अनुसार पटवारी हल्का द्वारा बिना मौका देखे बिना पैमाईश किये मात्र कयास के आधार पर प्रार्थी/अपीलान्ट के विरूद्व झुंठी अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुने बिना तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं दस्तावेजात पर गौर नही कर निर्णय पारित कर अपीलान्ट के बेदखली पैनल्टी जमा कराने के साथ-साथ पश्चातवृती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये है। वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। जो फर्द मौका बेदखली ग्राम भेडीवास की रिपोर्ट से प्रमाणित है। चूँकि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक माह के सिविल कारावास से दंण्डित किया है इसलिए इस चेतावनी के साथ सजा माफ कि जाती है कि भविष्य में सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें। अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट की सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसूर के शेष आदेश बेदखली पैनल्टी आदि सभी यथावत रहेगे।

निर्णय आज दिनांक 26/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)